न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम / विशेष न्यायाधीश (एस एण्ड पॉक्सो एक्ट) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा।

उपस्थित सारिका गोयल एच० जे०एस०

जे०ओ०कोड नं०-यूपी 2723

सत्रवाद सं0-198/2022

उ० प्र० राज्य

अभियोजन पक्ष

बनाम्

सौरस आदि

मु0 अ 0 स 0-64/2021

धाराः 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम 1986 थाना-जलेसर एटा।

21.08.2025

आज प्रार्थी / अभियुक्तगण सोरिस अली पुत्र शौकत अली, अब्दुल मैद पुत्र सोरस अली, अब्दुल फैज पुत्र सोरस अली. शनील उर्फ नैथुल हरून पुत्र रियामुल एवं गुलजार उर्फ रफीकुल हसन निवासीगण मौहल्ला छत्ता थाना जलेसर जिला एटा की ओर से प्रार्थना पत्र 29 अ इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र को रिट याचिका संख्या-29245 सन् 2025 में आदेश पारित हुआ है. जिसके अनुपालन में उचित आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

समर्थन में आवेदन अन्तर्गत धारा-528 बी०एन०एस०एस० 29245 सन् 2025 सोरिस अली व चार अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाकित 11.08.2025 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है. जिसकी सत्यता को शपथ पत्र से समर्थित किया गया है तथा साथ ही उक्त आदेश को कम्प्यूटर अनुभाग से भी प्रमाणित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाकित 11.08.2025 के अनुसार आवेदकगण सौरिस अली, अब्दुल जैद, अब्दुल फैज, शकील उर्फ जियाउल हसन एवं गुलजार उर्फ रफीकुल हसन के विरुद्ध आरोपित आरोप पत्र संख्या-38/2022 दिनांकित 06.02.2022 जिस पर विद्वान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर

Scanned with OKEN Scanner

वाद 2 एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट न०-08. एटा द्वारा वाद संख्या 198/2022 व मु०अ०सं०-64/2021 राज्य बनाम् सौरिस अली व अन्य अन्तर्गत धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जलेसर जिला एटा जो कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश(रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट)- प्रथम/अपर सत्र न्यायाधीश, एटा में विचाराधीन है, को समाप्त(Quashed) किया गया है।

प्रस्तुत मामले में उपरोक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के अतिरिक्त हारुन एवं सारिक के विरूद्ध भी धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया है। अतः शेष अभियुक्तगण हारुन एवं सारिक के विरूद्ध कार्यवाही यथावत चलेगी। ~~पूर्वादेशानुसार अभियुक्तगण हारुन एवं सारिक के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट, नोटिस जमानतदार एवं 82 द०प्र०सं० की कार्यवाही नियत दिनांक के लिए जारी हो।~~ यदि आवेदकगण सौरिस अली, अब्दुल जैद, अब्दुल फैज, शकील उर्फ जियाउल हसन एवं गुलजार उर्फ रफीकुल हसन के विरूद्ध कोई प्रोसेस न्यायालय द्वारा जारी की गयी हो तो बिना तामील वापिस मंगायी जाए।

21/08/2025

विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम / विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा।

Scanned with OKEN Scanner